केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

श्री सांईं तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कालोनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,

पटना–801503

(वेबसाइट– www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ।

ऑन–लाइन आवेदन की अंतिम तिथि–30.08.2017

विज्ञापन संख्या–01/2017

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में सीधी नियुक्ति हेतु सिपाही के पद (वेतनमान ` 5200–20200 (PB-1) + ग्रेड पे – 2000 छठा वेतन आयोग के अनुसार) की रिक्तियों की संख्या–9900 (नौ हजार नौ सौ) है।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–01/2017 यहाँ जारी किया जा रहा है ।

पुलिस मुख्यालय की अधियाचना, पत्रांक 7628/पी–3 दिनांक 30.06.2017 तथा पत्रांक–8139/पी0–3, दिनांक–11.07.2017 एवं पत्रांक–8947/पी0–3, दिनांक–25.07.2017 तथा बिहार सरकार, गृह (आरक्षी) विभाग, की अधिसूचना संख्या–4/ब2–105/2001– गृ0आ0–1444, दिनांक 06 फरवरी, 2004 / अधिसूचना संख्या संख्या–4/ब1–102/2008– गृ0आ0–6843, दिनांक–11/08/2008 / अधिसूचना संख्या– 4/ब1–102/2008– गृ0आ0–377, दिनांक–06 जनवरी, 2012 / अधिसूचना ज्ञाप संख्या–4/पी0–3–10–03/2013–गृ0आ0–4111, दिनांक 28 मई, 2013 / अधिसूचना संख्या–4/ब1–102/2008– गृ0आ0–4573 दिनांक–13 जून, 2013 / अधिसूचना संख्या–4/ब1–102/2008– गृ0आ0–1591, दिनांक 29 फरवरी, 2016 / अधिसूचना संख्या–4/ब1–102/2008–गृ0आ0–2170, दिनांक 10 मार्च, 2017 / अधिसूचना संख्या–4/ब1–102/2008–गृ0आ0–5010, दिनांक 16.06.2017 तथा बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक–963, दिनांक–20 जनवरी, 2016 / संकल्प ज्ञापांक–13185, दिनांक–03.09.2015 में वर्णित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती की प्रक्रिया की जायेगी ।

उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा सर्वप्रथम आवेदन–पत्रों का ऑन–लाइन संग्रहण किया जायेगा, तदोपरान्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित/गृह रक्षक आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक योग्यता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जाँच–माप परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी । अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी । लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात (1:5) में शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा । सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद द्वारा जिला पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस / बिहार के अन्य पुलिस ईकाइयों के पुलिस अधीक्षकों / समादेष्टाओं / विभागाध्यक्षों को भेजी जायेगी ।

जिला पुलिस/बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य पुलिस इकाइयों की रिक्तियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ होगी । अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जायेगा । नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रम के अनुसार इनके द्वारा दी गयी प्राथमिकता पर विचार किया जायेगा तथा रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर किसी जिला/वाहिनी/अन्य पुलिस इकाई में नियुक्त किया जायेगा ।

(1) सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता :–

1.1 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :– इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण–पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण–पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता ।

1.2 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड –

(क) ऊँचाई –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरूषों एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 162 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के पुरूषों के लिए– न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पूलिस–1 (गोरखा बटालियन) में – न्यूनतम 158 सेन्टीमीटर ।

(5) सभी वर्गो की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए) –

(1) अनारक्षित (सामान्य) वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए–

बिना फुलाए	–	81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर	–	86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के पुरूषों के लिए –

बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर – 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बि0सै0पु0–1, गोरखा बटालियन में –

बिना फुलाए – 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर– 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

1.3 अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक–01.06.2017 को) :–

(1) सामान्य (अनारक्षित) कोटि के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।

(2) पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष ।

(3) पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अट्ठाईस) वर्ष ।

(4) अनुसूचित जाति/कोटि एवं अनुसूचित जन–जाति /कोटि के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।

(5) गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि/आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों (बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित) को पाँच (05) वर्षो की छूट दी जायेगी ।

(2) नियुक्ति की प्रक्रिया–

(क) प्रथम चरण – 'लिखित परीक्षा' – आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। ***लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे*** । लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी । दो घंटों के एक प्रश्न–पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक देय होगा ।

सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित/गृह रक्षक आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेगा, वह निरर्हित (Disqualify) घोषित किया जायेगा तथा उसे शारीरिक जाँच–माप में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

''लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।''

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 1:5 अनुपात में प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच हेतु किया जायेगा ।

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता जाँच / माप में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

(ख) द्वितीय चरण – 'शारीरिक योग्यता परीक्षा' – शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी ।

(1) **दौड़ – 50 (पच्चास) अंक ।**

<u>सभी कोटि के पुरूषों के लिए</u> – 1 (एक) मील (1.6 कि0मी0) [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट तक –	50 अंक
5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक –	40 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक –	30 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक –	20 अंक

(6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा)।

<u>सभी कोटि की महिलाओं के लिए –</u> 1 (एक) कि0मी0 [अधिकतम 6 मिनट में]

5 मिनट तक –	50 अंक
5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकण्ड तक –	40 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक –	30 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक –	20 अंक

(6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा)।

(2) **<u>गोला फेंक –</u> अधिकतम 25 (पच्चीस अंक) ।**

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – 16 पौंड का गोला

न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा ।

16 फीट से ज्यादा एवं 17 फीट तक	–	09	अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	–	13	अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	–	17	अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	–	21	अंक
20 फीट से ज्यादा	–	25	अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – 12 पौंड का गोला

न्यूनतम 10 (दस) फीट फेंकना होगा ।

10 फीट से ज्यादा एवं 11 फीट तक	–	09	अंक
11 फीट से ज्यादा एवं 12 फीट तक	–	13	अंक
12 फीट से ज्यादा एवं 13 फीट तक	–	17	अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	–	21	अंक
14 फीट से ज्यादा	–	25	अंक

(3) <u>उँची कूद –</u> अधिकतम 25 (पच्चीस अंक) ।

सभी कोटि के पुरूषों के लिए –न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

04 फीट से ज्यादा एवं 4 फीट 4 ईन्च तक	–	13 अंक
04 फीट 4 ईन्च से ज्यादा एवं 4 फीट 8 ईन्च तक	–	17 अंक
04 फीट 8 ईन्च से ज्यादा एवं 5 फीट तक	–	21 अंक
05 फीट से ज्यादा	–	25 अंक

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट से ज्यादा एवं 3 फीट 4 ईन्च तक	–	13 अंक
03 फीट 4 ईन्च से ज्यादा एवं 03 फीट 8 ईन्च तक	–	17 अंक
03 फीट 8 ईन्च से ज्यादा एवं 04 फीट तक	–	21 अंक
04 फीट से ज्यादा	–	25 अंक

उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं, यथा– दौड़, गोला फेंक एवं ऊँची कूद स्पर्धा / स्पर्धाओं, प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा ।

<u>मेधा सूची</u>– जिला एवं सैन्य पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए ***<u>मेधा सूची शारीरिक योग्यता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा– दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी ।</u>*** शारीरिक योग्यता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनका पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा ।

<u>(3) आरक्षण :–</u>

(क) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

(ख) <u>गृह रक्षकों के लिए प्रावधानः–</u>

गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सख्या–1444, दिनांक–06.02.2004 एवं गृह आरक्षी विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1511 दिनांक–07.02.2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रखकों से प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ भरी जानी हैं ।

गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

योग्य गृह रक्षक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे की शेष रिक्तियों को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।

(ग) **<u>महिलाओं के लिए प्रावधानः–</u>**

आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलओं के लिए आरक्षित हैं । इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गो के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में अलग–अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे ।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा–4(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथा स्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी ।

(घ) **<u>बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में प्रावधान :–</u>**

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है । चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी ।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट–ऑफ तिथि 01 जून, 2017 निर्धारित की जाती है ।

<u>(4) चिकित्सकीय परीक्षण</u> – नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा । आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट–फुट एवं नौकिंग–नी आदि की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

<u>(5) रिक्ति</u> :– रिक्तियों की संख्या–9900 (नौ हजार नौ सौ) है जो घट बढ़ सकती है ।

बिहार अधिनियम–3, 1992 ‘‘बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के प्रावधानानुसार विभिन्न आरक्षण कोटि की रिक्तियों की संख्या पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

(6) **<u>अभ्यर्थी का सत्यापनः–</u>** जिले के पुलिस अधीक्षक / वाहिनी के समादेष्टा / अन्य ईकाइयों के विभागाध्यक्ष अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे । नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों के चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली–भाँती जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे ।

<u>(7) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया</u> :– सिपाही के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । **दिनांक–31/07/2017 से ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी ।** विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट – www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति में आवेदन–पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 450/–(चार सौ पचास) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 112/–(एक सौ बारह) रूपये निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से Online Transaction से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charges) एवं इस पर जी0एस0टी0 (GST) के रूप में अलग से उपयुक्त राशि ली जायेगी । उपरोक्त सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश</u> :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर Bihar Police के Tab पर क्लिक करेंगे । इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल लिया जाता है तथा इन दोनों के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ भेजी जाती हैं । मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हैं । **अतः पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल अनिवार्य है ।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) को अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना है जो अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो इस स्थिति में अपनी ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में शुल्क के भुगतान संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आइ0डी0 (e-mail Id) पर दी जायेंगी ।

पंजीकरण करने के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के मूल्य एवं (प्रोसेसिंग चार्ज + GST) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । तत्पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर पर एक

SMS भेजा जायेगा जिसमें उनके द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकरण किये जाने की सूचना के साथ पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा जिसका प्रयोग आवेदन–पत्र भरने के आगे के चरणों में किया जायेगा ।

एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा ।

आवेदन–पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना भरा हुआ आवेदन–पत्र A/4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) करना होगा । प्रिंट किये गये आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपना हाल का (एक माह के अंदर का) खींचा हुआ रंगीन फोटो चिपकायेंगे । आवेदन–पत्र पर मुद्रित 'घोषणा' के नीचे दिये गये दो बॉक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर क्रमशः अँग्रेज़ी एवं हिन्दी में करेंगे । तत्पश्चात फोटो लगे एवं हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र को स्कैन करने के उपरान्त पर्षद की वेबसाईट पर अपलोड (Upload) कर देंगे । सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS प्राप्त होगा तभी आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी ।

आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक–01.06.2017 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । *जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।*

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन–पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे । आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरें । प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

आवेदन–पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी **कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की **वेबसाइट– http://gad.bih.nic.in/** पर समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

भरे गये आवेदन–पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र (फोटो सहित) की मूल/छायाप्रति

अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

गलत/त्रुटिपूर्ण भरे गये आवेदन–पत्र में सुधार करना :–

आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान या आवेदन–पत्र भरे जाने के बाद यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका आवेदन–पत्र गलत/त्रुटिपूर्ण भर गया है या गलत/त्रुटिपूर्ण अपलोड हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरने की फीस पुनः जमा कर सुधार कर नया आवेदन–पत्र भर सकते हैं । आवेदन–पत्र को सुधारने/सही करने का केवल एक अवसर दिया जायेगा, इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में सुधार नहीं कर सकेंगे । जो अभ्यर्थी आवेदन–पत्र की अंतिम तिथि **30/08/2017** को आवेदन–पत्र भरेंगे, उन अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र में सुधार की व्यवस्था **31/08/2017** तक ही होगी।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि–30/08/2017 निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा । डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये अवेदन–पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन–पत्रों की जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर नियुक्ति से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवेश–पत्र ऑन लाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS के माध्यम से दी जाती है अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन जारी रखें ।

अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–632/के0च0प0

दिनांक–26/07/2017

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,
श्री साईं तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कालोनी,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना– 801503

प्रतिलिपिः–

1. **प्रधान सचिव,** गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।
2. **पुलिस महानिदेशक,** बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।

अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना ।